पत्र संख्या बी-1-एलाटमेन्ट-3/2017-2018/ 412 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: **29 August 2017**

आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, रामपुर, फतेहगढ़, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, बॉदा, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़,गाजियाबाद, मुख्यालय, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, महोबा, भदोही, अम्बेडकरनगर, नोएडा, बलरामपुर, सन्तकबीरनगर, बागपत, कन्नौज, कासगंज, अमेठी एवं हापुड़ ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति/किराया सेल), वाणिज्य कर, मुख्यालय के पत्र सं0-70 दिनाँक 25/05/2017 द्वारा प्राप्त किराया विवरण सूची(**छायाप्रति संलग्न**) के कम में **चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2040-बिकी,व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान''** के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार **मानक मद संख्या-17-किराया उपशुल्क एवं करस्वामित्व में धनराशि का आवंटन किया जाता है । आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित भवन स्वामी को ही किया जाय । यदि किसी भवन का किराया बकाया रह गया है तो निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश के साथ मुख्यालय के सम्पत्ति/किराया सेल को माँगपत्र भेजना सुनिश्चित करें । उक्त मद में यदि अधिक धनराशि का आवंटन हो गया हो तो उसे भी तत्काल मुख्यालय को समर्पित कर दिया जाय ।** कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें ।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशो के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।